अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2017 अनवानी साबूदीन पुत्र चांदमोहम्मद निवासी वार्ड न. 01, लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, सादुलशहर

25—10—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साबुदीन के अभिभाषक श्री मुकेश कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर की ओर से श्री आदराम ऑफिस कानूनगो उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर का प्रतिवेदन संख्या 3702 दिनांक 17.10.17 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2017 के द्वारा तहसीलदार सादुलशहर से सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चक लालगढ बरानी सम्वत 2000 में मुस्लिम कब्रिस्तान दो खसरो की जांच कर पूर्ण विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विषय वस्तु की जांच कर या सूचना तैयार कर नही दी जा सकती है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का लालगढ़ सी की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 324 दिनांक 12.09.2017 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साबुदीन ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2017 के द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः—

> जमाबन्दी चक लालगढ बिरानी सम्वत् 2000 जिसमें मुस्लिम कब्रिस्तान दो खसरो में खाता संख्या—309, 5 बीघा जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज है जिसका विवरण इस प्रकार है ख.न. 615 जमीन सवा दो बीघा का कौनसा मु0 न0 व प0न0 है व किस चक में पड़ता है व ख0 न0—753 जमीन पौने तीन बीघा जो कि कब्रिस्तान के नाम दर्ज है इसका भी मु0 न0 व प0न0 व चक की जांच करके पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित विवरण दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन सं0 सू.का.अ./2017/3702 दिनांक 17.10.17 निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः—

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी साबुदीन पुत्र चांदमोहम्मद जाति मुस्लमान वार्ड न. 01 लालगढ जाटान को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई बिन्दुवार सूचना दिनांक 10.07.2017 के सम्बन्ध मे निवेदन है कि आवेदक ने चक लालगढ बारानी सम्वत् 2000 जिसमें मुस्लिम कब्रिस्तान दो खसरों में है खाता सं. 309 में खसरा सं. 615 की सवा दो बीघा व खसरा सं. 753 की कब्रिस्तान की भूमि की जाचं करके पूर्ण विवरण चाहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि सूचना अधिकार के तहत विषय वस्तु की जांच या सूचना तैयार कर नही दी जा सकती बल्कि उपलब्ध रिकार्ड की प्रतिलिपि जारी की जाती है। आवेदक को इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का लालगढ सी की जाचं रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 324 दिनांक 12.09.2017 को उपलब्ध कर दी गई है। जिसकी चित्रप्रति संलग्न है।

अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित व स्पष्ट नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। फिर भी तहसीलदार, सरदुलशहर ने उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि नकल रजिस्टर के क्रमांक 324 पर दिनांक 12.09.17 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है और जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर